

भारतीय रेल  
डीजल रेल इंजन कारखाना  
वाराणसी-221004

कार्यालय - म.प्र./प्रशासन  
दिनांक - 20.11.2018

प.सं. जीएम/एडमिन/01/046 भाग-1

शुद्धि पर्ची सं.-04/18

विषय - मॉडल शक्तियों की अनुसूची के विविध मामलों के पैरा 04 खंड -C में संशोधन/परिवर्धन।  
संदर्भ -सीएमई/कार्मिक पत्र संख्या CME/P/DLW/Notes,दिनांक 07.09.2018 एवं एसपीओ/मुख्यालय पत्र संख्या DLW/Welfare-7/staff council/part 64,दिनांक 30.08.2018.  
उपरोक्त संदर्भित मॉडल शक्तियों की अनुसूची के विविध मामलों के पैरा 04 खंड -C में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

| मद सं. | कार्य की प्रकृति                                    | प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष   | मण्डल रेल प्रबंधक/अपर मण्डल रेल प्रबंधक/मुख्य कारखाना प्रबंधक/क्षेत्रीय इकाइयों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी | मण्डल अधिकारी, मण्डलतर अधिकारी एवं मुख्यालय के अधिकारी | अभ्युक्ति   |
|--------|---|--|---|--|---|
| 1      | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   |
| 4      | ब्रीफकेस/<br>लैपटाप बैग/<br>स्लिम बैग<br>की आपूर्ति | ब्रीफकेस की खरीद हकदारी के अनुसार अधिकारियों(अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक/निरीक्षक/मुख्य कार्यालय अधीक्षक) द्वारा की जाय तथा दावा प्रतिपूर्ति के लिए स्वघोषणा के आधार पर मूल बीजक/बिल प्रस्तुत किया जाय। |   |  | <p>1. वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।</p> <p>2. ब्रीफकेस के लिए हकदार अधिकारी स्वयं के लिए ब्रीफकेस खरीदने हेतु स्वघोषणा के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।</p> <p>3. ब्रीफकेस के लिए हकदार वरिष्ठ पर्यवेक्षक स्वघोषणा के आधार पर स्वतः ही स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं तथा मूल बीजक/बिल संबन्धित नियंत्रक अधिकारी से अग्रसारित करवाकर वेतन बिल अनुभाग में जमा करेंगे।</p> <p>4. ब्रीफकेस की 03 वर्ष की सामान्य जीवन अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है और ब्रीफकेस रखा जा सकता है।</p> |

| मद सं. | कार्य की प्रकृति | प्रमुख विभागाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष | मण्डल रेल प्रबंधक/अपर मण्डल रेल प्रबंधक/मुख्य कारखाना प्रबंधक/क्षेत्रीय इकाइयों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी | मण्डल अधिकारी, मण्डलतर अधिकारी एवं मुख्यालय के अधिकारी | अभियुक्ति  |
|--------|------------------|-----------------------------------|---|--|--|
|        |                  |                                   |   |  | <p>5. उपरोक्त सामग्री की खरीद निम्नलिखित वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत की जा सकेगी</p> <p>ए- उच्च प्रशासनिक ग्रेड - ₹8000/- तक.</p> <p>बी- वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - ₹6500/- तक</p> <p>सी- चयन ग्रेड/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - ₹5000/- तक</p> <p>डी- वरिष्ठ वेतनमान - ₹4000/- तक</p> <p>ई- कनिष्ठ वेतनमान- (ग्रुप ए एवं बी) ₹3500/- तक</p> <p>एफ- वरिष्ठ पर्यवेक्षक(ग्रेड पे 4600/- एवं ऊपर) ₹3000/- तक</p> <p>प्राधिकार: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ 23016/2/2012 Genl दिनांक 25.04.2013 एवं रेलवे बोर्ड का कार्यालय आदेश संख्या 23/2013.</p> |

इसे प्रमुख वित्त सलाहकार की सहमति तथा महाप्रबंधक/डीरेका के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
( नितिन मेहरोत्रा )

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक  
कृते महाप्रबंधक

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. सभी विभागाध्यक्ष/वरि.प्रशा. अधिकारी
2. सभी कनि.प्रशा. अधि.
3. सभी वरि.वेतनमान अधिकारी
4. सभी कनि. वेतनमान अधि./सहायक अधिकारी

डीरेका, वाराणसी

  
(नितिन मेहरोत्रा)

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक  
कृते महाप्रबंधक